02/12/19- पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोई समय में तीन बार तीन तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त अन्वान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.01.23 13:51:14 IST
Reason: SelfAttested